



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :सं . NCST/ATY-1266/BR/4/2023-APCR

दिनांक : 31.05.2024

सेवा मे,

श्री जीतेंद्र कुमार  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला - कटिहार,  
समाहरणालय कटिहार,  
कटिहार, बिहार 854109  
Email Id: sp-katihar-bih@nic.in

विषय: अवैध रूप से जमीन हड़पने, गालीगलोच एवं हमला करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में श्री वरुण मराण्डी का दिनांक 02.06.2023 का अभ्यावेदन ।  
संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 19.06.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)


महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 11.06.2024 को 02.20 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(एच.आर.मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री वरुण मरांडी  
ग्राम- कहटा बालूगंज,  
पो- बैना, थाना- पुनपुर,  
जिला कटिहार बिहार - 854116)  
मोबाइल नंबर: 9199140215

NIC for uploading